(73)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1915–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–5–2012 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 27/2011–12/अपील.

.....

श्रीमती मांगीबाई पत्नी श्री लाखन सिंह पुत्री श्री हरनामसिंह
निवासी ग्राम भर्राड तहसील व जिला मुरैना कृषक ग्राम
बडा गॉव तहसील व जिला ग्वालियर

..... आवेदिका

विरूद्ध

1–के0सी0राजपूत पुत्र केदारसिंह
निवासी ग्राम बडागॉव तहसील व जिला
ग्वालियर

..... असल अनावेदक

2–रमेश पुत्र श्री हरनामसिंह
निवासी शब्दप्रताप आश्रम रामपुरी मोहल्ला,
लश्कर ग्वालियर
3–लाखनसिंह पुत्र हरनामसिंह
निवासी बडागॉव तहसील व जिला ग्वालियर
4–बीरबलसिंह पुत्र हरनामसिंह फौत
वारिस अरविन्द सिंह पुत्र बीरबलसिंह
निवासी सुरैयापुरा मुरार जिला ग्वालियर
5–प्रतापसिंह पुत्र हरनामसिंह
निवासी परसादीका पुरा मुरार ग्वालियर
6–नरोत्तम पुत्र हरनामसिंह
निवासी गणेश कॉलोनी मुरार ग्वालियर
7–सुजानसिंह पुत्र हरनामसिंह
निवासी सुरैयापुरा मुरार जिला ग्वालियर
8–श्रीमती मुन्नी पत्नी सरदारसिंह पुत्री हरनामसिंह
निवासी फूलपूबामोर (फूलपुर) बामोर जिला मुरैना
9–श्रीमती लक्ष्मी पत्नी रामस्वरूप पुत्री हरनाम
निवासी महावीरपुरा मुरैना
10–श्रीमती गुडडी पत्नी सुखलाल पुत्री श्री हरनामसिंह
निवासी बरौआ नूराबाद जिला ग्वालियर
11–श्रीमती कुसुम पत्नी श्री कपूर सिंह पुत्री हरनामसिंह
निवासी महाराजपुरा रोड मुरैना
12–श्रीमती बेबी पत्नी प्रमोद पुत्री श्री हरनाम सिंह
निवासी डांक बगले के पास मुरैना

.....तरतीवी अनावेदकगण

.....

श्री एन0डी0 शर्मा, अभिभाषक– आवेदक
श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1
श्री कुवंरसिंह कुशवाह, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 5 व 12

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 13/1/13 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–05–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार मुरार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बडागांव स्थित भूमि सर्वे नम्बर 339 रकबा 0.470 हेक्टेयर पर 18 वर्ष से काबिज होकर खेती कर रहा है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर उसका कब्जा दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 6–6–2007 को आदेश पारित कर कब्जे के आधार अमल करने का आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध भूमिस्वामी की पुत्री आवेदिका द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–8–2008 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 17–5–2010 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर अपील का गुणदोष पर निराकरण करें । अपर आयुक्त के आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाकर दिनांक 23–11–11 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 6–6–2007 निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध पुनः द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और आयुक्त द्वारा दिनांक 15–5–12 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी

का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि अनावेदक कमांक 1 को सुनवाई का अवसर देकर पुनः आदेश पारित करें । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है एवं इस न्यायालय के अनेक न्यायिक सिद्धांत है कि नवीन प्रविष्टि करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को नहीं है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार को कब्जा दर्ज करने का अधिकार भी संहिता के प्रावधानों में नहीं दिया गया है, इसलिये तहसीलदार द्वारा कब्जा दर्ज करने का दिया गया आदेश क्षेत्राधिकार रहित आदेश था इसलिये तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के आदेश को आधार बनाकर व्यवहार न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया गया था जिसे आवेदिका के आवेदन पत्र पर व्यवहार न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है । उक्त तथ्य की जानकारी आयुक्त को होने के बावजूद भी आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है। अतः अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जाये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि भूमिस्वामी द्वारा अनावेदक को मौखिक पटटे पर दी गई थी तब से वह निरन्तर प्रश्नाधीन भूमि पर कृषि कार्य कर रहा है, अतः तहसीलदार द्वारा अनावेदक का कब्जा दर्ज करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(2) अपर आयुक्त द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में यथास्थिति रखने का विधिसंगत आदेश पारित किया गया है ।

(3) अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तर्क से यह सिद्ध किया गया था कि प्रश्नाधीन भूमि उसे पटटे पर प्राप्त हुई है । तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् प्रकिया का पालन करते हुये उसका नाम दर्ज किया गया है । इसके

बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित है अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(5) अपर आयुक्त के समक्ष अनावेदक कमांक 1 द्वारा यह प्रमाणित किया गया था कि प्रश्नाधीन भूमि पर उसका 18 साल से भी अधिक समय से कब्जा है और कब्जे के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित है । इसके बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में अवैधानिक एवं अनयिमित कार्यवाही की गई है ।

5/ अनावेदक कमांक 5 व 12 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत तर्को को समर्थन दिया गया ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । जहॉ तक आयुक्त द्वारा अपील के निराकरण तक यथास्थिति बनाये रखे जाने के निर्देश देने का प्रश्न है, कार्यवाही वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है । उक्त निर्देश संशोधित किये जाते है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन/यथास्थिति पर उभयपक्ष को सुनकर संहिता के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त द्वारा पारित आदेश उपरोक्त निर्देश के साथ स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर